बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। मौजा मांगलोद में खेत खसरा नम्बर 903/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, का बंट चाहा गया है जिसमें सभी पक्षकार राहखातेदार है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 क्रमशः बिन्दू व रामी ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 903/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.32375 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 राधेश्याम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 903/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.32375 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 पुसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 903/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.32375 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी संख्या 4 कमली व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 केलू, कालू, सूमन व सुखदेव के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 903/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.32375 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती हैं।
5. प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 क्रमाशः बिन्दू व रामी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रंकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
6. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
8. माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आव यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/8/14 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner